रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 308] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 15, 2001/ज्येष्ठ 25, 1923

No. 308] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 15, 2001/JYAISTHA 25, 1923

कम्पनी विधि बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जून, 2001

सा. का. नि. 437(अ).—कम्पनी विधि बोर्ड, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 10 ङ की उपधारा (4ख) और (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी विधि बोर्ड विनियम, 1991 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम कम्पनी विधि बोर्ड (संशोधन) विनियम, 2001 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कम्पनी विधि बोर्ड विनियम, 1991 में,—

(क) विनियम 14 के उपविनियम (5) में "धारा 58क (9)" शब्द, अंकों, अक्षर कोष्ठक के पश्चात् "या धारा 117ग की उपधारा (4)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक अन्त:स्थापित किए जाएंगे।

(ख) विनियम 37 में,—

(i) पार्श्व शीर्ष में "निक्षेप" के पश्चात् "और डिबेंचर" शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे।

(ii) "धारा 58क की उपधारा (9)" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठक के पश्चात् "या धारा 117ग की उपधारा (4) के अधीन" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक अन्त:स्थापित किए जाएंगे।

(ग) विनियम 42 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : —

"42क धारा 58कक या 117ख के अधीन प्रज्ञापन या याचिका—धारा 58कक की उपधारा (1) के अधीन प्रज्ञापन या 117ख की उपधारा (4) के अधीन याचिका, अनुलग्नक II में दिए गए प्ररूप सं. 1 में फाइल की जाएगी।";

3. कम्पनी विधि बोर्ड विनियम, 1991 में,—

(i) अनुलग्नक II में,

(क) प्ररूप सं. 1 में "(देखिए विनियम 13 और 14)" कोष्टक, शब्दों और अंकों के स्थान पर "(देखिए विनियम 13, 14 और 42क" कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(ख) प्ररूप सं. 4 में,—

(i) "जमाकर्ता" शब्द के पश्चात्, जहां कहीं भी यह आता है, "/डिबेंचर धारक" अन्त:स्थापित किया जाएगा।

(ii) "धारा 58क (9)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक के पश्चात् "या धारा 117ग (4)" शब्द, अंक अक्षर और कोष्ठक अन्त:स्थापित किए जाएंगे।

(iii) "धारा 58क" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक के पश्चात् "या धारा 117ग (4)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक अन्त:स्थापित किए जाएंगे।

(iv) क्रम सं. (iii) में आने वाले पद "जमाकर्ता" के पश्चात् "/डिबेंचर धारक" पद अन्त:स्थापित किया जाएगा;

(v) "निक्षेप" शब्द के पश्चात्, जहां कहीं भी यह आता है, "/डिबेंचर" शब्द अन्त:स्थापित किया जाएगा;

(vi) प्रार्थना के क्रम सं. (i) में आने वाले पद "जमाराशि" के पश्चात् "/डिबेंचर" पद अन्त:स्थापित किया जाएगा;

(ii) अनुलग्नक-III में,

(क) क्रम सं. 6 के सामने,—

(i) स्तंभ (2) में "58क(9)" अंक, अक्षर और कोष्ठक के पश्चात् "या 117ग" शब्द, अंक और अक्षर अन्त:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"कंपनी को परिपक्व निक्षेपों या डिबेंचरों का प्रतिदाय करने का निदेश देने के लिए आवेदन";

(ख) क्रम संख्यांक 6 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

"6क	58कक	छोटे निक्षेपकर्ताओं को परिपक्व निक्षेपों के प्रतिदाय और उन पर ब्याज के संदाय में व्यतिक्रम की सूचना के लिए याचिका।	1. कंपनी के अधिकारियों के नाम और पते। 2. छोटे निक्षेपकर्ताओं के संपूर्ण ब्यौरे जैसे नाम, पते, निक्षेप की परिपक्वता की तारीख और निक्षेप के अन्य निबंधन और शर्तें। 3. संदाय न करने या देर से करने के कारण। 4. पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट। 5. कंपनी के कानूनी लेखापरीक्षकों द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित आगामी तीन वित्तीय वर्षों के लिए प्रोजेक्शन और नकदी का प्रवाह।"

(ग) क्रम संख्यांक 11 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अन्त:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"11क	117ख(4)	परिपक्व डिबेंचरों के प्रतिदाय और उन पर ब्याज का संदाय करने में व्यतिक्रम की सूचना के लिए याचिका।	1. कंपनी के अधिकारियों के नाम और पते। 2. डिबेंचर धारकों के संपूर्ण ब्यौरे जैसे नाम, पते, राशि, ब्याज की दर, परिपक्वता की तारीख और डिबेंचर के अन्य निबंधन तथा शर्तें। 3. संदाय न करने या देरी से करने के कारण। 4. पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्टें। 5. डिबेंचर जारी करने के समय जारी की गई विवरण पत्रिका की प्रति। 6. न्यास विलेख की प्रति।"।

[फा. सं. 1/(10)88-सी एल V/सीएल बी]

एच. एस. शर्मा, सचिव

पाद टिप्पणी : मूल विनियम सा. का. नि. सं. 29(अ) तारीख 30-5-1991 द्वारा संशोधित किए गए और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :—

(1) सा. का. नि. सं. 492(अ) तारीख 14-5-1992

(2) सा. का. नि. सं. 593(अ) तारीख 25-7-1994

(3) सा. का. नि. सं. 394(अ) तारीख 2-5-1995

(4) सा. का. नि. सं. 433(अ) तारीख 1-8-1997

(5) सा. का. नि. सं. 917(अ) तारीख 12-12-2000

COMPANY LAW BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th June, 2001

G.S.R. 437 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (4B) and (6) of section 10E of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Company Law Board hereby makes the following Regulations further to amend the Company Law Board Regulations, 1991 namely :—

1. (1) These regulations may be called as the Company Law Board (Amendment) Regulations, 2001.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Company Law Board Regulations, 1991,—

(a) in regulation 14, in sub-regulation (5), after the word, figures and letter "section 58A", the words, figures, letter and brackets "or sub-section (4) of section 117C"shall be inserted;

(b) in regulation 37,—

(i) in the marginal heading after the word "deposit", the words "and debenture" shall be inserted;

(ii) after the word, figures and letter " section 58A", the words, brackets, figures and letter " or under sub-section (4) of section 117 C" shall be inserted;

(c) after regulation 42, the following regulation shall be inserted, namely:—

" 42A. Intimation or petiton under section 58AA or 117B.—An intimation under sub-section (1) of section 58AA or a petition under sub-section (4) of section 117B of the Act, shall be filed in Form No. 1 in Annexure II." ;

3. In the Company Law Board Regulations, 1991,—

(i) in ANNEXURE-II,

(a) in FORM No. 1, for the brackets, words and figures "(See Regulations 13 and 14)", the brackets, words and figures "(*See* Regulations 13,14 and 42A)" shall be substituted.

(b) in Form No. 4 ,—

(i) after the word "Depositor", wherever it occurs, the words " [1]Debenture Holder" shall be inserted;

(ii) after the word, figures, letter and brackets "SECTION 58A(9)", the words, figures, letter and brackets "OR SECTION 117C (4)" shall be inserted;

(iii) after the word, figures and letter " SECTION 58A", the words, figures, letter and brackets "OR SECTION 117C (4)" shall be inserted;

(iv) after the expression "Depositors(s)", appearing in serial number (iii), the expression 's/ "Debenture Holder(s)" shall be inserted;

(v) after the word "Deposit", wherever it occurs, the word "/Debenture" shall be inserted;

(vi) after the expression "Deposit(s)", appearing in serial number (i) of the prayer, the expression "[1]Debenture(s)" shall be inserted;

(ii) in ANNEXURE-III,

(a) against serial number 6,—

(i) in column (2), after the figures, letter and brackets "58A(9)" , the word, figures and letter "or 117C" shall be inserted;

(ii) for the entries m column (3) , the following shall be substituted, namely :—

" Application to direct the company to make repayment of the matured deposits or debentures";

(b) after the serial number 6 and the entries thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

"6A	58AA	Petition to intimate the default in making repayment of the matured deposits from small depositors and interest theron.	1. Names and addresses of the officers of the company. 2 Full details of small depositors such as names, addresses, amount of deposits, rate of interest, dates of maturity and other terms and conditions of deposits. 3. Reasons for non payment or late payment. 4. Annual Reports for the last three years. 5. Projection and cash flow statement for the next three financial years duly certified by Statutory Auditors of the company.";

(c) after the serial number 11 and the entries thereto the following serial number and the entries shall be inserted, namely.—

"11A	117B(4)	Petition to intimate the default in making repayment of the matured debentures and interest thereon.	1. Names and addresses of the officers of the company. 2. Full details of debenture holders such as names, addresses, amounts, rate of interest, dates of maturity and other terms and condition of the debentures. 3. Reasons for non-payment or late payment. 4. Annual Reports for the last three years. 5. Copy of the Prospectus issued at the time of issue of debentures. 6. Copy of the Trust Deed."

[F. No. 1(10)88—C L. V/CLB]
H. S. SHARMA, Secy.

Foot Note:—Principal Regulation was amended vide G.S.R. No. 29(E) dated 31-05-1991 and subsequently amended by:—

(1) G.S.R. No. 492 (E) dated 14-05-1992;

(2) G.S.R. No. 593 (E) dated 25-07-1994;

(3) G.S.R. No. 394 (E) dated 02-05-1995;

(4) G.S.R. No. 433 (E) dated 01-08-1997;

(5) G.S.R. No. 917 (E) dated 14-12-2000.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—2001.